प्रेस विज्ञप्ति

09.01.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धन शोधन के अपराध करने के संबंध में मेसर्स ओशन सेवन बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रवर्तक श्री स्वराज सिंह यादव तथा संबंधित संस्थाओं के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत 09.01.2026 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), पटियाला हाउस न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है।

यह अभियोजन शिकायत, गुरुग्राम में प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के अंतर्गत प्रारंभ की गई किफायती आवास परियोजनाओं में गृह खरीदारों एवं निवेशकों के विरुद्ध किए गए बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, जालसाजी तथा वित्तीय धोखाधड़ी के संबंध में आर्थिक अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस तथा हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज की गई अनेक प्राथमिकी के आधार पर दायर की गई है। इन प्राथमिकियों में दर्ज शिकायतों के आधार पर यह उद्घाटित होता है कि गृह खरीदारों एवं निवेशकों ने किफायती आवास योजना के अंतर्गत अपना घर प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ, विधिसम्मत आवंटन एवं समयबद्ध सुपुर्दगी के आश्वासनों पर विश्वास करते हुए अपनी जीवन भर की बचत निवेश की। तथापि, परियोजना के लिए पर्याप्त धनराशि एकत्र किए जाने के बावजूद, आज तक एक भी आवास का वितरण नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप अनेक परिवार लंबे समय से अनिश्चितता एवं वित्तीय संकट की स्थिति में हैं।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत ईडी द्वारा की गई जांच से एक सुनियोजित एवं सुव्यवस्थित योजना का खुलासा हुआ है, जिसके तहत निर्माण हेतु गृह खरीदारों से एकत्र की गई धनराशि को योजनाबद्ध तरीके से व्यक्तिगत लाभ हेतु, जिसमें चल/अचल संपत्तियों का अधिग्रहण भी शामिल है, विपथित (डायवर्ट) एवं गबन किया गया। आवासों के निर्माण के स्थान पर, सैकड़ों परिवारों द्वारा सौंपे गए धन का दुरुपयोग किया गया, जिसे अनेक फर्जी (शेल) संस्थाओं के जाल के माध्यम से छिपाया (लेयर) गया और विलासिता की संपत्तियों में परिवर्तित किया गया। वास्तविक आवंटनों को अवैध रूप से निरस्त किया गया तथा उन्हीं आवासीय इकाइयों को बाद में अधिक मूल्य पर पुनः बेचा गया, जिसमें विधिक रूप से अनुमेय मूल्य से अधिक की राशि का एक भाग नकद में प्राप्त किया गया। गृह खरीदारों को झूठे रूप से चूककर्ता (डिफॉल्टर) दर्शाने तथा अवैध निरस्तीकरणों को उचित ठहराये जाने के लिए जाली एवं कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया गया। पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अब तक की गई जांच से यह उजागर हुआ है कि एक संगठित वित्तीय अपराध किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 69.02 करोड़ रुपये की अपराध की आय का सृजन हुआ है, इन आंकड़ों के और अधिक होने की संभावना है, क्योंकि जांच जारी है। विपथित धन को मेसर्स केटीपी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित अनेक संस्थाओं के माध्यम से ठिकाने लगाया गया (रूट) और धन शोधन किया गया तथा इसका उपयोग अचल संपत्तियों के अधिग्रहण, विलासिता व्यय एवं व्यक्तिगत निवेशों के लिए किया गया।

जांच के दौरान, 13.11.2025 को दिल्ली एवं गुरुग्राम स्थित अनेक परिसरों पर तलाशी एवं जब्ती की कार्यवाई की गई, जिसके परिणामस्वरूप अपराध-संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण तथा 86 लाख रुपये की नकद राशि जब्त की गई। 05.01.2026 को अनंतिम कुर्की आदेश संख्या 01/2026 के माध्यम से कुल 51.57 करोड़ रुपये मूल्य की चल एवं अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया गया। कुर्क की गई संपत्तियों में गुरुग्राम, हिमाचल प्रदेश एवं महाराष्ट्र में स्थित एक विला, होटल एवं रिसॉर्ट संपत्ति, कार्यालय परिसर, भूमि खंड तथा बैंक शेषराशियां शामिल हैं।

जांच में आगे यह भी सामने आया कि अभियुक्त द्वारा घरेलू परिसंपत्तियों को नकदी में परिवर्तित करने तथा विदेश स्थानांतरित करने के प्रयास किए गए, जिससे उनके फरार होने का गंभीर जोखिम उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया। स्वराज सिंह यादव को 13.11.2025 को गिरफ्तार किया गया तथा वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है।

धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत जांच आगे जारी है, ताकि अपराध की आगे की आय की पहचान की जा सके तथा धन शोधन नेटवर्क में संलिप्त अन्य अभियुक्त व्यक्तियों एवं संस्थाओं को विधि के अंतर्गत उत्तरदायी ठहराया जा सके।

कार्यप्रणाली
1. गृह खरीददारों से निर्माण निमित्त धन एकत्रित किया गया
2. विभिन्न फर्जी (शेल) संस्थाओं के जरिए धन को सुनियोजित तरीके से विपथित (डायवर्ट) किया गया
3. झूठे चूक (डिफॉल्ट) बनाए गए, वास्तविक आवंटन अवैध रूप से निरस्त किए गए
4. विधिक रूप से अनुमेय नकद भुगतान पर अपार्टमेंट को बढ़े हुए मूल्य पर पुनः बेचा गया
संगठित वित्तीय अपराध का खुलासा हुआ
अपराध की आय- रु.69.02 करोड़ (और बढ़ रही है)
मेसर्स केटीपी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य फर्जी संशठनों के जरिए धन का शोधन किया गया
संपत्ति अधिग्रहण, विलासिता खर्चों और व्यक्तिगत निवेशों के लिए अपराध की आय का इस्तेमाल किया गया